भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1099
दिनांक 08 फरवरी, 2022 / 19 माघ, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना

1099. श्री हाजी फजलुर रहमानः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन विदेशियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की गई और उनकी कुल संख्या क्या है; और
(ख) उन विदेशियों द्वारा भारतीय नागरिकता लेने के क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क): ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ख): भारत की नागरिकता, नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत शासित होती है। पात्र विदेशी नागरिकों को, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा, धारा 6 के अंतर्गत देशीयकरण द्वारा अथवा धारा 7 के अंतर्गत किसी भू-भाग को शामिल किए जाने के फलस्वरूप नागरिकता प्रदान की जाती है। नागरिकता अधिनियम, 1955 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के अध्यधीन, भारतीय नागरिकता लेने के कारण, प्रत्येक आवेदक की विशेष परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग होते हैं।

*****

लोक सभा अता. प्र. सं. 1099, दिनांक 08.02.2022

अनुलग्नक-I

पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय नागरिकता प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या (ऑनलाइन नागरिकता मॉड्यूल से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार)

वर्ष	**भारतीय नागरिकता प्रदान किए गए विदेशी नागरिकों की संख्या**
2017	817
2018	628
2019	987
2020	639
2021	1773
कुल	**4844**

****